

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/हिनि/28129/विवाह/2019-20

दिनांक:- 27-11-2019

समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारंभिक)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)

समस्त डाईट प्राचार्य

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षायें।

विषय:- बालिका उपहार योजना के अर्न्तगत आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

संदर्भ:- समसंख्यक पत्रांक दिनांक 04.11.19 व 25.11.19

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि बालिका विवाह उपहार योजना हेतु जारी पत्र दिनांक 4.11.19 के बिन्दु संख्या 07 एवं पत्रांक 25.11.19 के बिन्दु संख्या 02 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है, अतः पुनः स्पष्टतया निर्देशित किया जाता है कि बालिका विवाह की निर्धारित तिथि के पश्चात् दो माह के अन्दर-अन्दर आवेदन करने पर स्वीकार्य होगा। विवाह तिथि से पूर्व या तिथि के दो माह पश्चात् प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षक संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
7. पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर।
8. संपादक शिविरा पत्रिका।
9. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण/शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर